संख्या–198/XXXVI(2)/24 / 01(बजट) / 2024

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2025

विषयः जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर और नैनीताल (सिविल कोर्ट हल्द्वानी) के लिए CIS 4.0 Compitable Servers क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1016/IT/XXVIII/Hardware-Haridwar/2023, दिनांक 13.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर और नैनीताल (सिविल कोर्ट हल्द्वानी) के लिए जिला न्यायालय कम्प्यूटर समिति, हरिद्वार द्वारा अनुशंसित CIS 4.0 Compitable Servers को क्रय किये जाने हेतु शासन स्तर पर गठित विभागीय तकनीकी समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि **रू0 24,00,000/– (रू0 चौबीस लाख मात्र) (प्रति जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर और नैनीताल (सिविल कोर्ट हल्द्वानी) के लिए रू0 6.00 लाख)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्या–484 / XXXVI(2)/24 / 03(बजट) / 2020 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा अनुदान संख्या–04, 'लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन न्यायाधीश' के 'मानक मद–26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण' के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि से **रू0 24,00,000/– (रू0 चौबीस लाख मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. क्रय किये जाने वाले उपकरणों के उचित Maintenance/Service सुनिश्चित करने के लिए आर0एफ0पी0 में एक कठोर एवं प्रगतिशील एस0एल0ए0 (Service Level Agreement) की Clause भी सम्मिलित की जाय।
2. क्रय किये जा रहे सॉफ्टवेयर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों की बैंच मार्किंग का दायित्व मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड एवं सम्बन्धित जनपद के जिला न्यायाधीश का होगा।
3. प्रस्तुत आगणन/प्रस्ताव में उल्लिखित उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताओं की वेन्डर न्यूट्रिलिटी सुनिश्चित किये जाने हेतु उपकरणों का General Specification का निर्धारण किया जाय।
4. सिस्टम इन्टीग्रेटर/ओ०ई०एम० के साथ एक या अधिक बार प्री–विड बैठक करते हुये Vendar Neutrality को सुनिश्चित की जाय। कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य सहवर्ती

उपकरणों की खरीद के दौरान बायबैकमोड/ई–वेस्टटेक–बैंक सेवा तथा वापसी खरीद की शर्त निविदा प्रपत्र/खरीद अभिलेख में सम्मिलित की जाय ताकि ई–वेस्ट/ई–प्रदूषण से बचाव हो सके।

5. निविदा में यह शर्त भी शामिल की जाय कि वेन्डर द्वारा सिस्टम को इंस्टॉलेशन एवं रन कराने के उपरान्त ही संतोषजनक स्थिति में हैण्डओवर किया जायेगा।
6. यह भी सुनिश्चित् किया जाय कि धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
7. यह भी सुनिश्चित् करें कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
9. उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय।
10. उपरोक्तानुसार दिनांक 24.02.2025 को सम्पन्न विभागीय तकनीकी समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या–264/XXXVI(2)/25/01(बजट)/2024, दिनांक 25.02.2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।
11. व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
12. जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गयी हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।
13. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा क्रय के सापेक्ष बचत/क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुयी बचत की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाय।
14. कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–285/पी0एस0/2006, दिनांक 23.10.2006 एवं तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही कार्यवाही की जाय।
15. शासनादेश संख्या–484/XXXVI(2)/24/03(बजट)/2020 दिनांक 01.04.2024 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित

किया जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 के 'अनुदान संख्या—04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2014—00—105—सिविल और सेशन्स न्यायालय—03—जिला तथा सेशन न्यायाधीश के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद '26—कम्प्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण' के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by
Pradeep Pant
Date: 27-02-2025 15:41:02

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— जिला न्यायाधीश, हरिद्वार/देहरादून/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून/उधमसिंहनगर/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 27-02-2025 16:01:25

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।